रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25012022-232903
CG-DL-E-25012022-232903

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 52]	**नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 25, 2022/माघ 5, 1943**
No. 52]	**NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 25, 2022/ MAGHA 5, 1943**

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 2022

फा.सं. स्टैंडर्ड्स-एसपी/08.1-ए/2019/एन-01.—खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 92 की उप-धारा (1) की अपेक्षा के अनुसार भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की अधिसूचना सं. फा. सं. स्टैंडर्ड/एसपी-08/ए-1.2019/एन-01 तारीख 18 जनवरी, 2021 द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग) संशोधन विनियम, 2021 का प्रारूप, उससे प्रभावित हो सकने वाले लोगों से भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में उस तारीख से जिस तारीख को उस अधिसूचना को प्रकाशित करने वाले राजपत्र की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध कराई गई थी, साठ दिनों की अवधि के अंदर आपत्तियाँ और सुझाव आमंत्रित करते हुए प्रकाशित किया गया था;

और उक्त राजपत्र की प्रतियाँ 20 जनवरी, 2021 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और उक्त विनियमों के प्रारूप पर जनता से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा विचार कर लिया गया है;

अत: अब, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 23 के साथ पठित 92 की उप-धारा (2) के खंड (ट) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग) विनियम, 2018 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात्;

विनियम

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-**(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग) प्रथम संशोधन विनियम, 2022 है।

(2) यह राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग) विनियम, 2018 (इसके पश्चात इन्हें उक्त विनियम कहा गया है) में,-

(1) विनियम 4 के उप-विनियम (4) में, खंड (क) के दुसरे परन्तुक के पश्चात निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

"परन्तु विनियम 4(1) से (3) में विनिर्दिष्ट खाद्य श्रेणी पैकेजिंग सामग्री, जिसमें पैक किए जाने वाले पानी के साथ संगत संघटक के रूप में प्लास्टिक हो या न हो, का भी उपयोग किया जा सकता है। ऐसे मामलों में पारदर्शिता की अपेक्षाएं लागू नहीं होंगी।"

अरुण सिंघल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./608/2021-22]

टिप्पण: खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग) विनियम, 2018 भारत के राजपत्र, असाधारण भाग III, खंड 4 में, अधिसूचना संख्या फा.स. 1-95/स्टैंडर्ड्स/ पैकेजिंग/एसपी(एलएंडसी/ए)/एफएसएसएआई-2017, तारीख 24 दिसंबर, 2018 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, 25th January, 2022

F.No. Std/SP-08/A-1.2019/N-01.—Whereas the draft of the Food Safety and Standards (Packaging) Amendment Regulations, 2021, were published as required under sub-section (1) of section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) *vide* notification of the Food Safety and Standards Authority of India number F.No. Std/SP-08/A-1.2019/N-01, dated the 18th January,2021, in the Gazette of India, Extraordinary, part III, Section 4, inviting objections and suggestions from the persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of sixty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notifications were made available to the public;

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 20th January, 2021;

And whereas the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft regulations have been considered by the central government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (k) of sub-section (2) of section 92 read with section 23 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the following regulations to amend the Food Safety and Standards (Packaging) Regulations, 2018, namely;

Regulations

1. **Short title and commencement**-(1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Packaging) First Amendment Regulations, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Food Safety and Standards (Packaging) Regulations, 2018 (herein after refer as said regulations),—

(1) In sub-regulation (4) of regulation 4, in clause (a), after second proviso, the following proviso shall be inserted, namely: -

"Provided further that food grade packaging materials as specified in regulation 4(1) to (3), which may or may not contain plastic as component compatible with the water to be packaged may also be used. In such cases requirements of transparency would not apply."

ARUN SINGHAL, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./608/2021-22]

Note.— The Food Safety and Standards (Packaging) Regulations, 2018 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 vide notification number File No. 1-95/Stds/Packaging/SP(L&C/A)/ FSSAI-2017, dated the 24th December, 2018.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.01.25 22:25:31 +05'30'